

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 01.01/2026

वादीया की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>आर.ए.एस.</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर वादीया की कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क. वादीया:-


चक	प.नं.	किला	तादादी
3 पीबीएन	58/328	3/1, 3/2, 8/1/.182, 16/.022, 17/.176	0.633 हैक्.

शेष खाता प्रतिवादीगण का यथावत रखा जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। रहन यथावत रखा जाता है।

3  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा





खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 01/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3  
(उमा मिश्र)  
सहायक कलेक्टर (कृषि/प.एस.)  
उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा